सीपीपी निविदा आईडी:

टीएफडी/2023-24/000103

दिनांक: 13/02/2024

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(एपीडा)

आनाहिम, कैलिफ़ोर्निया (सीए), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 12 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट - 2024 में इंडिया पवेलियन के डिजाइन और निर्माण-कार्य के लिए बोलियां जमा करने हेतु अनुरोध

1. परिचय:

1.1. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन का प्रमुख निकाय है।

2. नैचुरल उत्पाद एक्सपो वेस्ट-2024 के बारे में:

2.1 नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट प्राकृतिक, जैविक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद उद्योग में अग्रणी व्यापार शो है जहां आप उभरते और प्रमुख ब्रांड के सबसे बड़े संग्रह के बीच अपने अगले बड़े विक्रेता की खोज कर सकते हैं।

2.2 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" द्वारा नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट-2024 इवेंट में भाग लिया जा रहा है जो भारतीय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन तथा विपणन के लिए भारतीय पवेलियन स्थापित करेगा। नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट- 2024 दिनांक 12 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आनाहिम, कैलिफोर्निया (सीए), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में आयोजिय किया जाएगा (तत्पश्चात इसे "इवेंट" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

2.3 भारतीय पवेलियन **हॉल B** में स्थित होगा जिसका क्षेत्रफल **158.00 वर्ग मीटर** है।

3. असाइनमेंट के बारे में:

3.1 एपीडा द्वारा उपरोक्त शो में भारतीय पवेलियन के निर्माण-कार्य , डिज़ाइन एवं अनुरक्षण के लिए इच्छुक कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की जाती है।

3.2 इवेंट के लिए हॉल B में भारतीय पवेलियन का कुल क्षेत्रफल **158 वर्ग मीटर** है (पवेलियन का लेआउट लिंक है:

https://exhibitor.expowest.com/ew24/Public/eventmap.aspx?mapid=1000712&shAvailable=1%20&_gl=1*1ulcd3d*_gcl_au*MTI0MTE3NjIxNS4xNzAxODcxOTQ1

3.3 विस्तृत कार्य-क्षेत्र और आवश्यक बाध्यकारी शर्तें नीचे पैरा 5 से पैरा 7 में दी गई हैं।

4. बोलियां जमा करने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं और पात्रता:

निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले और समान प्लेटफॉर्म पर समान कार्य के निष्पादन में प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले संगठन बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चयन गुणवत्ता और लागत-आधारित चयन पर किया जाएगा। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली फर्म का तकनीकी मानदंडों पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

4.1. बोलीदाता को भारतीय व्यवसाय इकाई का निवासी/सेवा प्रदाता होना चाहिए और उसके पास अपने नाम पर वैध वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण होना चाहिए जो 1 अप्रैल, 2018 को या उससे पहले का होना चाहिए। आवेदन के साथ ऐसे पंजीकरण दस्तावेज़ की प्रति जमा करना अपेक्षित है। संगठन के बारे में स्थायी जानकारी के साथ संगठन का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल **अनुलग्नक -2** के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

4.2. बोलीदाता के पास भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पवेलियन की स्थापना के लिए टर्नकी आधार पर परियोजनाओं की अवधारणा , डिजाइन और कार्यान्वयन में न्यूनतम 3 वित्तीय वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

4.3. बोलीदाता को भारत के बाहर आयोजित पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम 50 लाख मूल्य के कम से कम 3 इवेंट्स को निष्पादित करना होगा।
(5 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित कार्य आदेशों के साथ सीए प्रमाण पत्र और अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित सभी सहायक दस्तावेजों को संलग्न करना अपेक्षित है)। **सीए प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुलग्नक - 4 के अनुसार है।**

4.4. सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 5 वर्षों (लेखापरीक्षित) के अंतर्गत तीन वर्षों में से किसी एक के दौरान इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन से संबंधित) के कार्यान्वयन के लिए 3,00,00,000 रुपये का औसत टर्नओवर (तीन करोड़ रुपये मात्र)। सीए प्रमाणपत्र **अनुलग्नक-4** के अनुसार होगा।

4.5. एजेंसी के पास भारत के बाहर आयोजित पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करने वाले कम से कम तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निष्पादन का अनुभव होना चाहिए।

4.6. स्व-प्रमाणित वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्हें कभी भी किसी सरकारी

संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है।

<u>अन्य आवश्यकताएं</u>

4.7. एपीडा के पक्ष में 15,000/- रुपये (जीएसटी @ 18% को छोड़कर) का वापस न करने योग्य आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क।

4.8. बोली के लिए नई दिल्ली में "एपीडा" के पक्ष में देय 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में ईएमडी जमा करना आवश्यक है , जिसके बिना बोली प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसियों को छूट निविदा दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी "छूट प्रमाणपत्र" की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के अधीन लागू होगी।

4.9. प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा कार्य-निष्पादन गारंटी/जमा प्रस्तुत करना, जो 5,00,000/- रु.या अनुबंध मूल्य का 5% से अधिक होगा। एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

4.10. प्राप्तकर्ता एजेंसी के मामले में , ईएमडी की राशि को कार्य-निष्पादन गारंटी/जमा में समायोजित किया जाएगा और शेष राशि (यदि कोई हो) अनुबंध मूल्य का 5% तक प्राप्तकर्ता द्वारा जमा की जाएगी।

5. कार्य-क्षेत्र

इवेंट में टर्नकी आधार पर भारतीय पवेलियन का डिजाइनिंग/निर्माण-कार्य और रखरखाव का काम करना।

डिस्प्ले प्रॉप्स/फर्नीचर, लाइट्स, कारपेटिंग, बिजली कनेक्शन, प्रावरणी, मार्ग क्षेत्र की कारपेटिंग, शीर्षक ग्राफिक्स आदि के साथ ड्राइंग/लेआउट में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट- 2024 में भारतीय पवेलियन का निर्माण-कार्य। ड्राइंग/लेआउट योजना इसके साथ संलग्न है।

कार्य में खुलने से एक दिन पहले और उसके बाद प्रतिदिन अपशिष्ट निपटान सहित सभी गतिविधियाँ शामिल होंगी जैसे संयोजन , निराकरण, जल निकासी, सामग्री प्रबंधन, परिवहन, रखरखाव, क्लीनिंग। पूरे दस्तावेज़ को एक साथ पढ़ा जाएगा और दस्तावेज़ में अन्यत्र उल्लिखित कर्तव्य एजेंसी के कर्तव्यों का हिस्सा बनेंगे।

इंडिया पवेलियन के लिए आरक्षित स्थान पर पवेलियन उपलब्ध कराने और निर्माण के लिए निर्धारित तिथि और अन्य संबंधित दिशानिर्देश आयोजकों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हालाँकि , किसी भी स्थिति में 11 मार्च 2024 को शाम 4.00 बजे तक कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए।

प्रस्तावित इंडिया पवेलियन को पूरी तरह से लकड़ी की सामग्री का उपयोग करके डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा। पवेलियन क्षेत्र में सामान्य एरिया , नमूनाकरण और सहभागियों का क्षेत्र भी शामिल होगा। इवेंट के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाओं की डिजाइनिंग, विकास और रखरखाव शामिल होगा:

- ☞ **थीम/सामान्य एरिया (प्रदर्शक स्टॉल को छोड़कर)**
- ☞ **प्रदर्शक स्टॉल**
- ☞ **वेट सैम्पलिंग एरिया**
- ☞ **ब्रांडिंग इंडिया**

☞ **अन्य गतिविधियां/कर्तव्य**

5.1 थीम/सामान्य एरिया (प्रदर्शक स्टॉल को छोड़कर):

5.1.1. थीम एरिया लगभग 36 वर्ग मीटर। एरिया को उत्थापित लकड़ी के फर्श से अलग रखा जाएगा।

5.1.2. वॉल से वॉल नया कार्पेट।

5.1.3. ग्लास, ऐक्रेलिक या लाइक्रा सामग्री के बैकलिट कोलाज के बैकड्रोप के साथ रिसेप्शन।

5.1.4. एपीडा के मीटिंग लाउंज को ग्लास/ऐक्रेलिक या समकक्ष सामग्री से कवर किया जाएगा।

5.1.5. आगंतुकों के लिए पीने के पानी, चाय, कॉफी और स्नैक्स की पर्याप्त आपूर्ति के साथ चाय/कॉफी, पीने के पानी, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर के प्रावधान के साथ पेंट्री सहित एक भंडारण क्षेत्र।

5.1.6. फर्नीचर की वस्तुओं का आकलन कर व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5.1.7. सामान्य क्षेत्र में बैकलिट ग्राफिक पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.1.8. पवेलियन को पर्याप्त सफेद रोशनी से रोशन किया जाएगा ताकि पूरे पवेलियन में अंधेरा न हो।

5.1.9. प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पाद एपीडा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और एजेंसी इन्हें एपीडा के दिल्ली कार्यालय से एपीडा पवेलियन तक लाने के लिए एपीडा अधिकारियों के साथ समन्वय करना सुनिश्चित करेगी। माल ढुलाई और सीमा शुल्क की लागत वास्तविक के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित संगठन लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए ऐसी सामग्री की मात्रा और वजन से संबंधित उचित रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेगा। उत्पाद में खाने के लिए तैयार भोजन/करी , ताजे और जमे हुए फल और सब्जियां और उनकी तैयारी, चटनी, अचार, खीरा, वाइन, मिलेट और उनके उत्पाद आदि शामिल होंगे।

5.1.10. पवेलियन/स्टॉल के निर्माण, स्टॉल की ऊंचाई और अन्य मामले से संबंधित स्थान प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा लगाई गई आगे की शर्तों/प्रतिबंधों के लिए ,बोलीदाता को नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट-2024 इवेंट साइट यानी https://www.expowest.com/en/home.html पर जाने की सलाह दी जाती है।

5.2. प्रदर्शक स्टॉल:

5.2.1. प्रदर्शकों के लिए "India" पवेलियन में 9-12 वर्ग मीटर (एपीडा द्वारा प्रदान की गई डिजाइन/लेआउट योजना के अनुसार) तक के कार्पेट एरिया के अधिकतम संख्या में स्टॉल का निर्माण-कार्य। हालांकि ये सांकेतिक आकार हैं, लेआउट की योजना इस तरह से बनाई जाए कि प्रत्येक स्टॉल की अधिकतम संख्या 9 वर्ग मीटर हो ताकि स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके। स्टॉल की संख्या और आकार के संबंध में अंतिम निर्णय एपीडा का होगा।

5.2.2. संबंधित प्रदर्शकों से व्यवस्थित किए जाने वाले टीपी/डिज़ाइन के अनुसार प्रत्येक 12/9 वर्ग मीटर स्टॉल के लिए 3'X6' आकार के कुल 18 वर्ग फीट के 3 पैनल पोस्टर तैयार करना। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयाम में समान होंगे और मुद्रण की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

5.2.3. पवेलियन के चारों ओर ब्रांड "India" का प्रचार सुनिश्चित करना और यह आयोजकों द्वारा अनुमति के अनुसार ऊंचा होना चाहिए।

5.2.4. बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदर्शकों द्वारा प्रदान किए गए डिज़ाइन के अनुसार पोस्टरों की छपाई, आपूर्ति और चिपकाना सुनिश्चित करना।

5.2.5. संबंधित प्रदर्शकों से टीपी/डिजाइन की व्यवस्था की जाएगी। समरूपता बनाए रखने के लिए एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयामों में समान होंगे।

5.2.6. इंडिया पवेलियन में अंधेरे की कोई गुंजाइश न छोड़ने के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5.2.7. सभी वैयक्तिक स्टॉल लकड़ी की सामग्री से निर्मित होंगी और आधुनिक समकालीन और मनोहर दृष्टिकोण प्रदर्शित करेंगी। स्टॉल को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह प्रदर्शकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने में सक्षम बनाए और संभावित खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सहायता करे। प्रत्येक वैयक्तिक स्टॉल को उचित वॉल से लेकर नए वॉल कार्पेट, बैक लिट वैयक्तिक प्रावरणी, 4 कुर्सियाँ, 1 गोल मेज, 1 अपशिष्ट कागज की टोकरी, 6 डिस्प्ले शेल्व्स, स्टोरेज के साथ 1 लॉक करने योग्य काउंटर, 1 पावर प्वाइंट सॉकेट और प्रत्येक 100 वाट की 6 लाइटें प्रदान की जाएगी।

5.3 वेट सैम्पलिंग एरिया:

इंडिया पवेलियन में एक वेट सैम्पलिंग एरिया शामिल होगा और एजेंसी इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगी।

5.3.1. ऐसे क्षेत्र का उपयोग बिरयानी, मिलेट उत्पादों और अन्य खाद्य उत्पादों की वेट सैम्पलैंग के लिए किया जाएगा और इसमें डिस्प्ले काउंटर, शेल्व्स आदि होंगी।

5.3.2. पकाने के लिए तैयार, खाने के लिए तैयार, परोसने के लिए तैयार उत्पादों की वेट सैम्पलैंग की व्यवस्था।

5.3.3. वेट सैम्पलिंग के लिए उत्पाद और मात्रा इस प्रकार है:

वेज बिरयानी के लिए 10किलो बासमती चावल

नॉन- वेज बिरयानी के लिए 10किलो बासमती चावल

5 किलो मिलेट रेसिपी जैसे पास्ता, नूडल्स, खिचड़ी और अन्य।

एजेंसियों को व्यंजनों की तैयारी , परिवहन, वितरण, क्रॉकरी और परोसना सुनिश्चित करना होगा

5.3.4. वेट सैम्पलिंग एरिया में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5.3.5. फर्नीचर वस्तुओं का आकलन कर व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5.4 ब्रांडिंग "INDIA" एवं "BHARAT":

5.4.1. इंडिया पवेलियन का समग्र स्वरूप समकालीन और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए जो आधुनिक और प्राचीन भारत के रंग और जीवंतता को दर्शाता हो।

5.4.2. विभिन्न प्रमुख स्थानों पर अंग्रेजी में "INDIA/BHARAT" शीर्षक दर्शाने वाले फसाड बोर्ड/ग्राफिक्स बनाना और लगाना सुनिश्चित करना।

5.4.3. सामान्य क्षेत्र में ब्रांडिंग के लिए 3x2.5 मीटर की वीडियो वॉल का प्रावधान।

5.4.4. INDIA & BHARAT की उपयुक्त बैकलिट ब्रांडिंग और एपीडा लोगो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसका आयाम 3 मीटर लंबा और अधिकतम ऊंचाई वाला होना चाहिए। ब्रांडिंग पूरे पवेलियन में प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी।

5.4.5. सुनिश्चित करें कि भारतीय पवेलियन की बैकलिट ब्रांडिंग का आयाम आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत आयामों से छोटा नहीं हो।

5.4.6. जेनेरिक ब्रांडिंग बैनरों का प्रावधान, जो पवेलियन के समग्र स्वरूप में रिंकल्स से बचने के लिए रिंकल फ्री स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स से बने हो। इसके अलावा , इन बैनरों पर चमकदार - सफेद रोशनी होनी चाहिए।

5.4.7. एपीडा और इंडिया ब्रांडिंग वाले 500 पेपर बैग का प्रावधान (लंबाई-12 इंच, चौड़ाई-18 इंच, कागज केवल 350 जीएसएम दोनों तरफ ब्रांडिंग)।

5.5 अन्य गतिविधियाँ/कर्तव्य

5.5.1. एजेंसी को एपीडा की ओर से अनुमानित बिजली लोड और बुक का आकलन करना होगा।

5.5.2. बिजली आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन , जल आपूर्ति और अन्य सहायता प्रणाली आदि के संबंध में आयोजकों की अनुशंसा/दिशानिर्देश/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

5.5.3. शो के दौरान सभी दिनों के लिए भारतीय वेशभूषा में 2 महिला सह दुभाषियों और 2 पुरुष परिचारकों का प्रावधान।

5.5.4. आगंतुकों के हाथों पर जैविक मेंहदी लगाने का प्रावधान और इसमें पर्याप्त श्रमशक्ति , सामग्री और उपकरणों का प्रावधान शामिल होगा।

5.5.5. वेंडर को उद्घाटन के दिन वीआईपी यात्राओं के लिए 5 गुलदस्ते की व्यवस्था करनी होगी और एपीडा के निर्देशानुसार उनके लिए जलपान की व्यवस्था करनी होगी।

5.5.6. पांच दिनों तक प्रतिदिन चाय, ग्रीन टी, कॉफी, कुकीज, काजू, जूस की व्यवस्था।

5.5.7. पांच दिनों तक प्रतिदिन लगभग 5 लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शाकाहारी/मांसाहारी पैक्ड नाश्ते और दोपहर के भोजन की व्यवस्था।

5.5.8. 100 प्रदर्शकों की निर्देशिका (अंग्रेजी में) (आकार: 6x8 इंच लगभग) का प्रावधान , जिसे एजेंसी द्वारा मुद्रित किया जाएगा जिसमें सहभागियों का विवरण भी शामिल होगा और जिनमें से 90 बिलों के साथ मेला स्थल पर टीम एपीडा को और शेष 10 बिलों के साथ दिल्ली कार्यालय के अधिकारियों को सौंपे जाएंगे।

5.5.9. प्रत्येक दिन की गतिविधियों यानी प्रदर्शनी के प्रत्येक दिन की शुरुआत से पहले पूरे पवेलियन का उचित रखरखाव और नियमित सफाई सुनिश्चित करना।

5.5.10. इंडिया पवेलियन (यानी दोनों हॉल) में और उसके आसपास आग से बचाव और अग्निशमन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5.5.11. वेंडर संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से संबंधित प्रदर्शकों की चिंताओं का समाधान सुनिश्चित करना।

5.5.12. यह सुनिश्चित करना कि पवेलियन के निर्माण और रखरखाव तथा इवेंट के अंत तक समन्वय के लिए उपयुक्त श्रमशक्ति स्थल पर मौजूद रहे।

5.5.13. इस संबंध में शो आयोजक/स्थल मालिक के दिशानिर्देशों के अनुसार इवेंट के समापन के बाद सभी फर्नीचर, फिक्स्चर और अन्य सामग्री को हटाने के बाद पवेलियन स्थल के खाली साफ कब्जे को मेला आयोजक को सौंपना सुनिश्चित करना।

6. <u>बोलीदाताओं के लिए आवश्यक निर्देश</u>

6.1. नैचुरल एक्सपो वेस्ट, सन्युक्त राज्य अमेरिका के दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना, जैसा कि उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.2. आयोजन स्थल के उपयोग और योजनाओं के अनुमोदन आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र समय पर जमा करना सुनिश्चित करना।

6.3. प्रदर्शनी अवधि के दौरान इंडिया पवेलियन में उचित विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना और उचित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना। एजेंसी एपीडा की ओर से और परामर्श से अनुमानित बिजली लोड और बुक तक पहुंच बनाएगी। एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एपीडा विद्युत आपूर्ति के प्रावधान के लिए भुगतान की गई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति इवेंट के लिए एजेंसी के बिल के समाशोधन के समय आयोजक बिल और एजेंसी द्वारा आयोजक संस्था को भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर की जाएगी। पूरे इंडिया पवेलियन में बिजली वितरित करना और इंडिया पवेलियन के प्रत्येक बूथ पर बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

हालाँकि, प्रदर्शकों को निर्धारित सीमा से अधिक बिजली का भार प्रदर्शकों द्वारा स्वयं भुगतान के आधार पर दिया जाएगा। प्रदर्शकों से शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। एपीडा किसी भी अतिरिक्त बिजली भार के लिए भुगतान नहीं करेगा।

6.4. एपीडा द्वारा निर्धारित किए रंग के अनुसार पूरे पवेलियन के लिए नए खरीदे गए कालीनों का प्रावधान सुनिश्चित करना।

6.5. वॉल पैनल, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि के प्रावधान करने के लिए सामग्री की उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ कारीगरी सुनिश्चित करना।

6.6. इंडिया पवेलियन की दैनिक आधार पर सफाई सुनिश्चित करना और पूरे दिन सफाई बनाए रखना।

6.7. यह सुनिश्चित करना कि प्रदर्शनी/मेले के समापन के बाद आयोजन स्थल पर कोई स्क्रैप, बचा हुआ कूड़ा-कचरा आदि न छोड़ा जाए और पूरी तरह से साफ-सुथरा स्थान संबंधित मेला प्राधिकरण को सौंप दिया जाए।

6.8. अनुमोदित एजेंसी द्वारा स्थान खाली करने से पहले शो आयोजकों और अन्य वेंडर से संबंधित सभी बकाया राशि का निपटान और/या भुगतान सुनिश्चित करना।

तकनीकी

6.9. यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह इंडिया पवेलियन की 3डी छवियां/ प्रेजेंटेशन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) प्रदान करे, जिसमें विभिन्न कोणों से इंडिया पवेलियन का पूरा प्रक्षेपण स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसमें संपूर्ण डिस्प्ले सहायक उपकरण और फर्नीचर के साथ सभी आकार के बूथ का संपूर्ण 3डी लुक भी दिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स आदि भी विस्तार से दिखना चाहिए।

6.10. एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्ले सहायक सामग्री आदि उपयुक्त गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त , प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुति के समय दिखाई जाएंगी , प्रस्तुत की जाएंगी और विधिवत अनुमोदित की जाएंगी।

7. नियम एवं शर्तें : बोलियां

जमा करना

7.1. एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

7.2. बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।

7.3. इच्छुक बोलीदाताओं को गैर-वापसी योग्य आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 15,000/ रु. (जीएसटी को छोड़कर) की राशि का भुगतान करना होगा।

7.4. इच्छुक पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5,00,000/- रु. (पांच लाख रुपये मात्र) और 17,700/- रु. (सतराह हजार सात सौ रुपये मात्र)की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I और II, III और IV के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। तथ्यों की किसी भी गलत बयानी/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

7.5. वेंडर के चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए , ईएमडी राशि को कार्य-निष्पादन गारंटी के दायित्व के एवज में समायोजित किया जाएगा। कार्य-निष्पादन गारंटी एजेंसी को अंतिम देय राशि के भुगतान के समय वापस कर दी जाएगी।

7.6. एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

7.7. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विषय असाइनमेंट यानी "इंडिया पवेलियन" के संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के लिए एजेंसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियां स्थानीय कानूनों के अनुरूप हो।

7.8. एजेंसी को बोली दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। प्राधिकार पत्र भी संलग्न करना होगा। बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम दिन से 60 दिनों तक है।

7.9. एपीडा के लिए आवश्यक है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें और वह किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त हों।

7.10. बोलीदाताओं को एपीडा को बोली दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

7.11. यह घोषणा कि बोलीदाता को किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार या पीएसयू, विशेष रूप से भारत सरकार के

वाणिज्य विभाग द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्ट/वर्जित नहीं किया गया है।

7.12. एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.13. एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अवधि या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.14. एजेंसी इस असाइनमेंट के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय चयनित एजेंसी की ओर से किसी भी गलत कार्य से होने वाले किसी भी दावे , हानि, मुकदमा, दायित्व या निर्णय के लिए एपीडा को क्षतिपूर्ति देगी।

7.15. एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- ☞ पवेलियन और ग्राफिक्स के डिजाइनिंग के कॉपी राइट पर स्वामित्व।
- ☞ किसी भी स्तर पर डिज़ाइन योजना में मामूली बदलाव करना।
- ☞ अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- ☞ बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- ☞ परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- ☞ अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.16. इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

<u>अंतिम भुगतान करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें</u>

7.17. एजेंसी को इवेंट पूरा होने के 10 दिनों के भीतर एपीडा के लिए तैयार पवेलियन , पैनल/पोस्टर (सीडीआर प्रारूप में) के अंतिम डिज़ाइन की सॉफ्ट कॉपी, प्रदर्शक की निर्देशिका, इवेंट रिपोर्ट (पीडीएफ प्रारूप) की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। इवेंट रिपोर्ट की 2 हार्ड कॉपी भी जमा करनी होंगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

7.18. अनुमोदित एजेंसी को एक फोटो एलबम जमा करना होगा जिसमें प्रत्येक बूथ के साथ-साथ पवेलियन के अन्य क्षेत्र को कवर करने वाली कम से कम 100 तस्वीरें (आकार: 5 x7 इंच) और पेन ड्राइव जिसमें

900 तस्वीरें (प्रत्येक दिन के लिए 300) और पूरे पवेलियन क्षेत्र को विभिन्न कोणों से कवर करता हुआ सभी दिनों (नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट-2024) के लिए इंडिया पवेलियन का वीडियो हो। इसके अतिरिक्त, आयोजकों को सौंपे जाने के समय साइट की तस्वीरें और वीडियो भी जमा करना होगा।

7.19. एपीडा दिल्ली कार्यालय में 10 प्रदर्शकों की निर्देशिका जमा करना।

7.20. ऐसे भुगतान के समर्थन में बैंक विवरण के साथ पवेलियन क्षेत्र के लिए बिजली बिल जमा करना।

7.21. सैम्पल के भार को उचित ठहराने हेतु प्रदर्शनी क्षेत्र में आगे भेजने के लिए एपीडा से एकत्र किए गए सैम्पल के संबंध में माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए बिल और अन्य सहायक दस्तावेज।

7.22. इवेंट की निगरानी के लिए प्रदर्शनी स्थल पर तैनात एपीडा अधिकारी का संतोषजनक प्रदर्शन।

7.23. यह पुन: कहा जाता है कि इवेंट के संबंध में एपीडा द्वारा ऊपर उल्लिखित को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त लागत वहन नहीं की जाएगी।

7.24. यदि किसी अतिरिक्त गतिविधि को निष्पादित करने की आवश्यकता है, तो ईमेल के माध्यम से इवेंट में प्रतिनियुक्त वरिष्ठतम अधिकारी से विशिष्ट पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और ऐसी अतिरिक्त गतिविधि के लिए भुगतान आवश्यक अनुमोदन के बाद सहायक दस्तावेज जमा करने के अधीन किया जाएगा।

8. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश:

8.1. मुहरबंद आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी (अनुलग्नक 1) , तकनीकी बोलियां (अनुलग्नक-2 और 4), और वित्तीय बोलियां (अनुलग्नक-3) अलग-अलग लिफाफे में बोली जमा करने की अवधि के अंतिम दिन या उससे पहले जमा करना आवश्यक है यानी **22 फरवरी 2024 प्रातः 11:00 बजे तक** जिसमें लिफाफे पर इवेंट का नाम अर्थात **आनाहिम, कैलिफ़ोर्निया (सीए), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 12 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट-2024** उल्लिखित हो।

8.2. बोली पूर्व बैठक 16 फरवरी, 2024 को सुबह 11.00 बजे एपीडा, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त बोली पूर्व बैठक की तारीख से 1 दिन के भीतर सीपीपी/एपीईडीए पोर्टल पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने के लिए पूर्व बोली बैठक के कार्यवृत्तों की प्रतीक्षा करें।

8.3. एजेंसियां कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और इन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

8.4. किसी भी बोलीदाता द्वारा आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और बयाना राशि जमा न करने की स्थिति में उनकी बोली को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.5. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

8.6. प्रस्तुत बोली में कोई संशोधन या प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई आवेदक अपना आवेदन जमा करने के बाद वापस ले सकता है , बशर्ते कि आवेदन जमा करने का समय समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापस लेने की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए एक नया आवेदन जमा करना होगा।

9. बोलियां प्रस्तुत करना:

लिफाफा I: नई दिल्ली में एपीडा के पक्ष में 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में बयाना जमा राशि और नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में17 ,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ रुपये मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अनुलग्नक 1- आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क। लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर "आनाहिम , कैलिफोर्निया (सीए), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में निर्धारित नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट-2024 के लिए आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी" अंकित होना चाहिए।

लिफाफा II: सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक 2 (तकनीकी बोली)। लिफाफे को मुहरबंद और "आनाहिम, कैलिफोर्निया (सीए), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 12 से 16 मार्च को आयोजित नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट-2024 के लिए तकनीकी बोली" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

लिफाफा III: निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों व लेआउट योजना के अनुसार एपीडा पवेलियन की पूरी परियोजना के लिए सभी करों सहित भारतीय रुपये में बोली मूल्य के लिए विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-3 (वित्तीय बोली)। लिफाफे को मुहरबंद और "आनाहिम, कैलिफोर्निया (सीए), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 12 से 16 मार्च को आयोजित नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट-2024 के लिए " के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

लिफाफा - IV: लिफाफा I, II और III को लिफाफा - IV के अंदर रखा जाना चाहिए और फिर से मुहरबंद कर दिया जाना चाहिए।

लिफाफों (I, II, III और IV) पर एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से पूरे पते, दूरभाष: संख्या, ई-मेल के साथ लिखा जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफा (लिफाफा - IV) को "आनाहिम, कैलिफोर्निया (सीए), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 12 से 16 मार्च को आयोजित नैचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट-2024" में इंडिया पवेलियन के लिए प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और नीचे दिए गए

पते पर सचिव, एपीडा को प्रस्तुत करना चाहिए:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल
एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

10. चयन प्रक्रिया

एपीडा में एक समिति बोलीदाताओं की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयनित बोलीदाताओं को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

प्रस्तुति में निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं:

क्र.सं.	**क्षेत्र**		**स्कोर/वेटेज**
1.	समग्र अवधारणा व डिज़ाइन		30
2.	फोटो, ग्राफिक्स, आकर्षक रंग योजना आदि के संयुक्त उपयोग से ठोस खाद्य उत्पादों के स्रोत के रूप में इंडिया पवेलियन थीम क्षेत्र का महत्वपूर्ण चित्र		20
3.	एपीडा को आवंटित फर्श क्षेत्र और स्थान के सर्वोत्तम उपयोग के अनुसार संरचना का उचित आयाम		10
4.	पिछले 5 वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का औसत कारोबार। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:		5
	क. 5 करोड़ रु. से अधिक	2 अंक	
	ख. 5-10 करोड़ रु.	3 अंक	
	ग. 10 करोड़ रु. से अधिक	5 अंक	
5.	प्रस्तावित नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट-2024 के लिए पिछले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यों की प्रकृति समान है। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:		5
	क. 0-5 वर्ष	2 अंक	
	ख. 5-10 वर्ष	3 अंक	
	ग. 10 वर्ष से अधिक	5 अंक	

11. वित्तीय बोलियों को खोलना:

11.1. बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा - तकनीकी और वित्तीय।

11.2. तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए एपीडा द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना है।

11.3. केवल उन्हीं फर्मों की वित्तीय बोलियाँ खोलने पर विचार किया जाएगा जिन्होंने तकनीकी

आवश्यकता/मूल्यांकन पूरा कर लिया होगा

11.4. सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी। अंकन की गणना में निम्नलिखित विधि होगी:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

11.5. वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय बोली को शामिल किया जाएगा और जिस बोलीदाता ने अधिक अंक स्कोर किए होंगे उसका चयन किया जाएगा।

11.6. चयन समिति बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों या किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने , घोषणा को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा के पास कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर वार्तालाप करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

12.अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा , सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश , एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

13. विवाचन:

13.1. इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

13.2. दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

13.3. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा|

13.4. इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

13.5. भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

13.6. मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

14. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी एपीडा और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी और सभी कार्यवाही , कार्रवाई, हानि, क्षति, व्यय, लागत के विरुद्ध और तीसरा पक्ष किसी भी तरह का दावा करता है , चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा , जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के भुगतान की देनदारी भी शामिल है, क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगी।

15. बौद्धिक संपदा अधिकार:

15.1. एपीडा का नाम/लोगो/अन्य आईपीआर केवल एपीडा की एकमात्र और विशिष्ट संपत्ति होगी। एजेंसी और/या उनके उप-एजेंटों/उप-संविदाकारों/कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के लिए, एजेंसी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

15.2. एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

15.3. एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

15.4. एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा , जो उचित समझी जाएगी।

16.भुगतान की शर्तें:

सफल बोलीदाता को भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा:

16.1. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के पक्ष में समान राशि के लिए बैंक गारंटी के एवज में या किए गए खर्चों का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, कुल लागत का 50% तक अग्रिम।

16.2. इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

16.3. भुगतान केवल कार्यक्षेत्र के अनुसार साइट पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए जारी किया जाएगा जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकता है।

17.कार्य-निष्पादकता आश्वासन:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है /कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2024 सुबह 11 :00 बजे तक है । संपूर्ण आवेदन पत्र निम्न को संबोधित किया जाए:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल
एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

यदि बोलीदाता को किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया निम्न पर संपर्क करें:

मान प्रकाश विजय
उप महाप्रबंधक
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल
एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

फोन: 91-11-41486013 /20863919 /20867008 /20867007

मेल: mpvijay@apeda.gov.in

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।

Annexure-1

Envelope I- Super scribe as "ENVELOPE I- APPLCIATION CUM PROCESSING FEES AND EMD FOR NATURAL PRODUCTS EXPO WEST– 2024 SCHEDULED FROM 12TH TO 16TH MARCH 2024 AT ANAHEIM, CALIFORNIA (CA), UNITED STATES OF AMERICA (USA)" along with the following documents:

1) Application cum processing Fee in the form of Demand draft of Rs. 15, 000 + 18% GST in favor of APEDA, payable at New Delhi.
2) EMD- Containing Earnest money in the form of a DD of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only) in favor of APEDA, payable at New Delhi.

Annexure-2

Envelope II- Super scribe as "ENVELOPE II- TECHNICAL BID FOR NATURAL PRODUCTS EXPO WEST- 2024 SCHEDULED FROM 12TH TO 16TH MARCH 2024 AT ANAHEIM, CALIFORNIA (CA), UNITED STATES OF AMERICA (USA)" along with the following documents:

1) Valid certificate of registration of the bidder
2) Authorization letter of for signatory
3) Address proof of the bidder
4) Copy of GST Certificate of bidder
5) Copy of Pan card of bidder
6) Copy of Income Tax Returns for last 5 years
7) A CA certificate in the format prescribed herewith **at Annexure 4**.
8) Copy of Work orders/completion certificates to annexed with the CA Certificate
9) Profile of the agency including the staff strength on payroll
10) A self-certified undertaking that as per performa attached.

Checklist

Particulars	**Details**	**Page no**
Name of agency		
Address as per GST Registration		
Name of authorized person		
Designation and contact details of authorized person including email id and telephone no.		
Copy of Registration /AOA & MOA alongwith copy of resolution		
Copy of GST Certificate of bidder		
Copy of Pan card of bidder		
Copy of Income Tax Returns for last 5 years		
A CA certificate as per **Annexure- 4**.		
Detailed Profile of the agency including the staff strength on payroll		
Track Record – previous experience of handling similar nature of work (Please mention here). As per eligibility criteria		
Copy of Work orders/completion certificates to annexed with the CA Certificate		
Non refundable Application cum processing fee of Rs. 15,000/- (excluding GST) i.e. 17,700/-		
Interest free Earnest Money Deposit "EMD" for Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh only) in the form of draft/ irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of		

APEDA, New Delhi.		
A self certified undertaking has to be submitted mentioning that they have not been blacklisted by any government organization and the same is not applicable as on date.		

SIGNATURE OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

Annexure-3

Envelope III- Super scribe as "ENVELOPE III- FINANCIAL BID FOR NATURAL PRODUCTS EXPO WEST– 2024 SCHEDULED FROM 12TH TO 16TH MARCH 2024 AT ANAHEIM, CALIFORNIA (CA), UNITED STATES OF AMERICA (USA)"

The Financial Quotation, duly signed, sealed, and dated, with break-up of major components separately in Indian Rupees only. No lump sum amount shall be considered.

Sr. No.	**Activity**	**Total in Rs.**
1	Designing, Construction and furnishing of theme/common area as per plan submitted covering details mentioned in **5.1** above.	
2	Designing, Construction and furnishing of stalls as per plan submitted covering details mentioned in **5.2** above.	
3	Wet sampling as per **5.3** above.	
4	Branding **5.4** above	
5	Other activities **5.5** above	
	Applicable taxes	
	Total with taxes	

(No additional cost , except that is already mentioned in the bid documents , whatsoever it may be shall be claimed unless specific prior approval through written email in this regard is conveyed from the office of the Chairman APEDA)

SIGNATURE OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

Annexure-4

Performa for Management & CA Certificate

To whom so ever it may concern

I /We proprietor / Partner / Director of_______________(Name of CA Firm) do thereby undertake and confirm that M/s.____________________________(Bidder), a Proprietorship / Partnership / Company having its registered office at _________________________________, having PAN No. _______________and GST no______________________which is valid from_______________(copy attached) do hereby declare and affirm as under :

1. That the business entity is in existence in the present status from_____________(date) vide PAN and VAT / Service Tax no. _______________
2. The details of the business turnover in support of existence and experience in number of years and turnover criteria is as follows. (to be matched with the audited financial statement of the entity)

Financial Year	Turnover Net of taxes (in lakhs of Rupees)	Total Turnover in respect of Business relating to provision of similar services (Exhibition etc)	Turnover in respect of services relating to rendering of similar service at international event held outside India	No of International event Executed and the Maximum value of the Single assignment

3. The year wise details of the international events like gulf food executed by the organization in its own and PAN number is as follows:

S no	Financial Year	Name of the Event, Place Country	Contractee Organisation Name And address	Contract Value and Value Realized	Financial Year wise Total

(To be matched with 26AS statement of the entity)

4. That the above work was/ is obtained in the entity's own name and the billing was done and payment was collected in the entity's own bank account .
5. That the information is true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therefrom.
6. That the Audited Financial statements , copy of the work orders are attached for verification.

For

Partner/Proprietor / Director
Place :
Date :

(Ca Certificate)

I________________________________s/o______________________________resident of_______________________, a qualified practicing chartered Accountant is in my capacity as individual / proprietor / Partner of_________________________________(Firm Name) Firm Registration no _________________________ do hereby certify that :

I have independently verified from the books the details submitted by the business entity in para number of 2-4 of the above undertaking with books of accounts, returns, 26AS statements, Service tax returns , GST Returns and other related documents and found them to be true and correct

For CA firm

Place:
Date: